



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 47-अ०प्र०(२३) / पा०का०लि०/२०१३

दिनांक: ०६ जुलाई, 2013

### कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (वै०एवंयां०) को अधीक्षण अभियन्ता (वै०एवंयां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता (वै०एवंयां०) के पद पर नियुक्त हेतु स्तम्भ संख्या-०४ के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभियो संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/ स्थान	प्रोन्नति के पश्चात आबंटित निगम/तैनाती
1	2	3	4
1	श्री बाल करन सिंह-८४०१५ फैजाबाद, ३१.०७.२०१४	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता, वितरण लेसा, लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्वल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ को आबंटित

2- उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाना है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताकम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी मूल पद पर प्रत्यावर्तत हो जाएगा।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१-३-२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- आबण्टित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वाचित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

5- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

7- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक ११-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आव्या का अंकन तथा स्वाकं न का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

२२-६-२०१३



**संख्या: 47(1)अ0प्र0(2अ) / पा0का0लि0 / 2013 तदिनांक**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव / समस्त निदेशक / अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) / मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) / मुख्य महा प्रबन्धक / महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0 / उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
4. मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं-407, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।

आज्ञा से,

*20-02-14  
06/जी/2013*  
**(सत्यानन्द दीक्षित)**

उप सचिव

मैंने आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल एवं उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है। इसका उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है। इसका उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है। इसका उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है। इसका उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है। इसका उत्तराधिकारी अधिकारी के लिए आज्ञा भागी उत्तरी राज्यपाल के लिए विविध राज्यों के संघीय विभागों की अधिकारी विभागों में अपनी उपस्थिति का विवरण दिया है।

**संस्कृति सम्मेलन**

*कृष्णनाथ दीक्षित*